



Neutral Citation No.-2026:AHC:8315

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-11494 वर्ष 2025

फारूक आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनुपम आनंद, शिखर अवस्थी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री यश प्रताप सिंह, अधिवक्ता श्री शिखर अवस्थी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक की ओर से यह दूसरी जमानत याचिका है। पहले मामले को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-34558 वर्ष 2020 में पारित दिनांक 29.6.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।
4. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2019 के अपराध संख्या-0382 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-खुर्जा नगर, जिला: बुलंदशहर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि एक नए आधार के रूप में, यह कैद की अवधि है जिस पर आवेदक जमानत का हकदार है क्योंकि वह 27.06.2019 से जेल में है और उसकी कैद के बाद से लगभग साढ़े छह साल बीत चुके हैं। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 23.04.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई है और केवल एक अभियोजन गवाह से जिरह की जानी बाकी है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी जमानत याचिका पर जोर देने के लिए कोई नया आधार नहीं है, इस तथ्य के साथ कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 13, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)